R.M.M. Law College Saharsa

Nareshji Anand

LL.B Part IInd
Paper - VIth
Environmental Law

The Environmental (Protection) Act - 1986

यह तथ्य कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम - 1986 स्टॉकहोम सम्मेलन (1972) के निर्देशकों को कार्यान्वित हेतु पारित किया गया। यह केन्द्र एवं राज्यों के बीच संसाधन विधायी वितरण पर अभिभावी होकर केन्द्र को किसी भी विषय पर पर्यावरण निर्माण हेतु अधिकृत करता है।

पर्यावरण अधिनियम 1986 पर्यावरण पर सबसे व्यापक अधिनियमित विधि है। यह अधिनियम पर्यावरण प्रदूषण तथा उससे सम्बन्धित विषयों से सम्बन्धित पूर्व विधियों को निरसित नहीं करता है। यह इससे विधियों के अंतर्गत गठित विभिन्न निकायों अन्य प्राधिकारियों का विशेष उल्लेख भी नहीं करता है।

अधिनियम की योजना इस प्रकार है:-

(i) धारा-2 में व्यावहारिक महत्व की परिभाषाएँ दी गई है।

(ii) यह उद्योगों के साथ-साथ व्यक्तियों पर भी लागू किया गया है तथा पर्यावरण की अत्यन्त विस्तृत परिभाषा की गई है।

(iii) धारा-5 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को किसी भी व्यक्ति अधिकारी को लिखित निर्देश जारी करने की दूरगामी प्रभाव वाली शक्ति दी गई है।

(iv) केन्द्रीय सरकार को धारा-3 में वर्णित शक्तियों के प्रयोग को प्रभावी बनाने हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

(v) अध्याय तीन में धारा-7 से लेकर 17 तक उपबन्ध है जिनमें आदेशों एवं निदेशों के उल्लंघन हेतु दण्ड और कम्पनियों तथा सरकारी विभागों द्वारा अपराध आदि का वर्णन किया गया है।

(vi) अध्याय-4 में सहज प्रकृति वाले प्रावधानों का वर्णन है। धारा-19 में अपराधों के संज्ञान का वर्णन है। धारा-23 में केन्द्र सरकार को किसी अधिकारी, राज्य सरकार या प्राधिकारी को शक्तियों के प्रयोजन की शक्ति दी गई है।

परिभाषाएँ:-

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-2 में सात परिभाषाएँ दी गई हैं।

(1) पर्यावरण
(2) पर्यावरणीय प्रदूषक
(3) पर्यावरणीय प्रदूषण
(4) निर्वहित करना की परिभाषा
(5) पर्यावरण अधिनियम एवं लोक दायित्व बीमा अधिनियम में प्रयुक्त "हथालना" की तुलना

(6) "परिसंकटमय पदार्थ" की परिभाषा:-

परिभाषा के आवश्यक लक्षण-

Scanned with CamScanner

(i) 'परिसंकटमय पदार्थ' की परिभाषा में पदार्थ की बात की गई है जो अपने रासायनिक अथवा भौतिक-रासायनिक गुणों या हथालने के कारण विनिर्दिष्ट तरह की हानि कर सकते हैं। यहाँ जो पदार्थ के गुण या निर्मित या वैकल्पिक रूप में हथालने पर है।

(ii) परिभाषा के दूसरे भाग में स्पष्ट है कि पदार्थ प्राणियों अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीवों पर्यावरण को क्षति पहुँचा सकती है

(iii) अधिभोगी की परिभाषा :-

अधिभोगी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नियंत्रण किसी कल-कारखाने या परिसर पर है।

(iv) विहित की परिभाषा : विहित का तात्पर्य अधिनियम के अंतर्गत धारा- 3(2)(v), धारा 6(1) धारा 6(2) धारा- 7 धारा-8, धारा-9(1) धारा-11(2) धारा 12(2) धारा- 15(1) धारा-20 धारा- 24(1) धारा 25 और धारा 26 में आया है।